# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर शहर** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र.इ.रि.सं. 233/22 दिनांक 13/6/2022
2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 धारायें 13(1)(सी), 13(1)(डी), 13(2)
   (2) अधिनियम–भारतीय दण्ड संहिता धाराये 409 120बी भा.द.सं.
   (3) अधिनियम ............–............ धारायें............–............
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये............–............
3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 242 समय 4:00 pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन ,दिनांक एवं समय –वर्ष 2008–18
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 18.06.2018
4. सूचना किस्म :–परिवाद संख्या 230/18
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– ब्यूरो चौकी जोधपुर से बरूख पूर्व बफासला करीब 30 किमी।
   (ब) पता :–, बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे.एन.वी.यू. जोधपुर।
   ............बीट सख्या............–............जरायमदेही सं...–.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ............–............जिला............–............
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :–श्री अमनसिंह सिसोदिया
   (ब) पिता का नाम :–श्री ओमसिंह सिसोदिया
   (स) जन्म तिथि......
   (द) राष्टीयता,:– भारतीय
   (द) पासपोर्ट सख्या............–............जारी होने की तिथि ............–............
   जारी होने की जगह ............–............
   (र) व्यवसाय :–
   (ल) पता:– सचिव कीड़ामण्डल,जय नारायण विश्वविद्यालय,जोधपुर
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   1.श्री सुनिल कुमार (एस.के.) परिहार पुत्र श्री बी.सी. परिहार, निवासी ऑल इंडिया रेडीयो स्टेशन के पीछे पावटा सी रोड़ सैकण्ड जोधपुर तत्कालीन अध्यक्ष कीड़ामण्डल,जेएनवीयू,जोधपुर।
   2. श्री बाबूलाल दायमा पुत्र श्री मांगीलाल दायमा निवासी विश्वविद्यालय स्टाफ क्वार्टर जेएनवीयू जोधपुर तत्कालीन सचिव कीड़ामण्डल, जेएनवीयू,जोधपुर।
   3. श्री प्रदीप कुमार(पी.के.) शर्मा पुत्र श्री जेएल शर्मा निवासी रूद्राक्ष 27ए सेक्टर–डी सरस्वती नगर बासनी जोधपुर तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार, जेएनवीयू,जोधपुर।
   4. श्री भूपेन्द्र सिंह सोढा अतिथि प्रशिक्षक
   5. श्रीमती सुमित्रा दाधिच अतिथि प्रशिक्षक एव अन्य।
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य
9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :–
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट)( अप्राकृतिक मृत्यु मामला स) (यदि कोई हो तो) :–
12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

निवेदन है कि परिवादी श्री डा. अमान सिंह सिसोदिया सेकरेट्री बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स ने ब्यूरों में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि अध्यक्ष, सचिव बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे.एन.वी.यू. जोधपुर द्वारा वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जेएनवीयू जोधपुर के अध्यक्ष व सचिव एवं ने भूपेन्द्र सिंह सोढा हेण्डबॉल कोच एवं श्रीमती सुमित्रा दाधिच योग प्रशिक्षक अतिथि प्रशिक्षक ने जेएनवीयू ,जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक को जेएनवीयू ,जोधपुर द्वारा काम नहीं करने के बावजूद उसको 10 वर्षो बाद बिल न0 59 से 25,000 रूपये व बिल न0 60 से 2,42,200 रूपये (8 माह का भुगतान )व बिल न0 61से 2.24,000 रूपये (8 माह का भुगतान ) का भुगतान कर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया तथा वर्ष 2016–17 व 2017–18 में नियम विरूद्ध अयोग्य प्रशिक्षको को नियुक्त कर अवैध भुगतान किया जाकर राजकोष नुकसान पहुंचाना आदि तथ्यो की शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय पर परिवादी संख्या 230/2018 दिनांक 18.06.2018 दर्ज किया जाकर वास्ते सत्यापन ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर को प्रेषित किया गया।

परिवाद प्राप्त होने पर उक्त परिवाद के सत्यापन के दौरान परिवादी अमनसिंह सिसोदिया सचिव क्रीडामण्डल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बयान लेखबद्ध किए गए। परिवादी द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पेश किए जिन्हे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

संपूर्ण जांच परिवाद, बयानात गवाहान एवं प्राप्त रिकार्ड से पाया गया कि (1) वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जेएनयू के अध्यक्ष भंवरसिह राजपुरोहित व सचिव महेन्द्रसिंह शेखावत थे। वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में भूपेन्द्र सिंह सोढा हेण्डबॉल कोच ने जेएनवीयू ,जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में काम नहीं किया। परन्तु उसको 10 वर्षो बाद बिल न0 59 से 25,000 रूपये व बिल न0 60 से 2,42,200 रूपये (8 माह का भुगतान )व बिल न0 61से 2.24,000 रूपये (8 माह का भुगतान ) का भुगतान किया गया। ये संदिग्ध भुगतान दिनांक 2.4.18 को परिवादी अमानसिंह सिसोदिया के बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के सचिव के पद ग्रहण करने के एक दिन पूर्व भूपेन्द्र सिंह सोढा हेण्डबॉल कोच को तत्कालीन अध्यक्ष प्रो0 एस के परिहार द्वारा भुगतान किया गया। सामान्यत– नियमानुसार क्रीडामण्डल के समस्त बिलों पर क्रीडा मण्डल के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर होते है व यह दोनो आहरण व सवितरण अधिकारी होते है। विश्वविद्यालय नियमानुसार अतिथि शिक्षक नियुक्ति करने हेतु विश्वद्यालय द्वारा अखबारो एवं विश्वविद्यालय वेबसाइड के जरिए विज्ञापन जारी किया जाता है , जिससे योग्यताधारी एवं इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा सत्र वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में जारी विज्ञप्ति में क्रीडा मण्डल में अतिथि शिक्षकों के आवेदन मांगे ही नही थें इसलिए नियुक्ति के लिए किया गया भुगतान करने की संभावना नहीं बनती है। इस प्रकार दिनांक 18.3.11 को सहायक कुल सचिव जेएनयू ने विधानसभा अतारांकित प्रश्न सं0 2957 के जबाव में राज्य सरकार को यह सूचना दी कि विश्वविद्यालय में नियुक्त अंशकालीन खेल प्रशिक्षक का पिछले 03 वर्ष का मानदेय भुगतान संबंधी एक भी प्रकरण लम्बित नहीं हैं तथा केवल सत्र 2010–11 में कार्यरत अंशकालीन खेल प्रशिक्षको का भुगतान नियमानुसार विचारधीन है। इसी प्रकार तत्कालीन सचिव महेन्द्रसिंह शेखावत ने भी राज्य सरकार को यह सूचना दी कि विश्वविद्यालय में नियुक्त अंशकालीन खेल प्रशिक्षक का पिछले 03 वर्ष का मानदेय भुगतान संबंधी एक भी प्रकरण लम्बित नहीं हैं तथा केवल सत्र 2010–11 में कार्यरत अंशकालीन खेल प्रशिक्षको का भुगतान नियमानुसार विचारधीन है। अर्थात वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में विश्वविद्यालय में अंशकालीन खेल प्रशिक्षक नियुक्त ही नहीं किया गया था इसलिए मानदेय भुगतान शेष नही था। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 09.01.2012 को अमन सिंह सिसोदिया तत्कालीन सचिव बोर्ड आफ स्पोर्ट्स ने अस्थाई प्रशिक्षक नहीं लगाने के संबध में पुनः यह उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय में सत्र 2010–2011 से पूर्व विश्वविद्यालय नियमानुसार वर्क लोड कमेटी द्वारा खेल प्रशिक्षकों की अंशकालीन नियुक्ति की अनुशंसा नहीं होने से क्रीडा मण्डल की तरफ से अंशकालीन प्रशिक्षकों की नियुक्ति के आदेश नहीं होने के कारण अंशकालीन प्रशिक्षको को नियुक्तियॉ नहीं दी गई थी। तथा वर्ष 2010–11 में कार्यरत जिन अंशकालीन प्रशिक्षको ने अपना मानदेय बिल क्रीडा मण्डल में आदेशानुसार व नियमानुसार प्रस्तुत किया है उनका नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है। भूपेन्द्रसिंह सोढा ने वर्ष 2010–2011 का भुगतान बाबत अपने बिल प्रस्तुत नहीं किये जिस पर उसका भुगतान नहीं किया गया। श्री भूपेन्द्रसिंह ने वर्ष 2010–11 के बिल वर्ष 2018 में प्रस्तुत कर अप्रेल 2018 में इसका भुगतान अलग दर से प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2010–2011 विश्वविद्यालय में दूसरे चार अंशकालीन प्रशिक्षकों को अलग दर से भुगतान किया गया और भुपेन्द्र सिंह सोढा को अलग दर से भुगतान किया गया था। दिनांक 16.3.12 को सचिव जेएनयू जोधपुर ने विधानसभा प्रश्न सं0 2583 के जबाव में राज्य सरकार को यह सूचना दी कि वर्ष 2008–2009 एवं 2009–10 में विश्वविद्यालय क्रीडा मण्डल ने नियमित व अतिथि /अंशकालीन प्रशिक्षको की नियुक्ति नहीं की गई थी, इसलिए इन वर्ष का भुगतान

Ay

नहीं किया जा सकता है तथा वर्ष 2010/11 का भुगतान चार प्रशिक्षको को भुगतान कर दिया गया है किन्तु एक अतिथि प्रशिक्षक भूपेन्द्रसिंह सोढा द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण संबंधित अतिथि प्रशिक्षक को भुंगतान नहीं हो पाया है इस संबंध में उक्त अतिथि प्रशिक्षक द्वारा भुगतान हेतु विश्वविद्यालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की गई है, अतः प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भुगतन संबंधी कार्यवाही नहीं की गई।

पार्ट टाइम टीचरस एसोसिएशन जेएनयू जोधपुर के अध्यक्ष डॉ भूपेन्द्र सिंह सोढा ने दिनांक 22.9.2011 को जेएनयू के तत्कालीन कुलपति प्रो0 भंवरसिंह राजपुरोहित महोदय को खेल प्रशिक्षको को वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 के बकाया मानदेय भुगतान का पत्र के माध्यम से मांग रखी जिसके संबंध में दिनांक 26.9.11 को कुलपति के चेम्बर में बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य बाबूलाल दायमा, महेंन्द्रसिंह राठौड , सिण्डीकेट सदस्य डूंगरसिंह खीची एवं कुल सचिव निर्मला मीणा नें पार्ट टाइम अतिथि प्रशिक्षको के संबंध में मिटिंग रखी गई जिसमें सर्व सम्मति से यह निर्णय दिया कि वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स व वर्क लोड कमेटी ने अतिथि प्रशिक्षको नियुक्ति नहीं दी गई थी इसलिए वर्ष 2008–2009 व वर्ष 2009–2010 में अतिथि प्रशिक्षको को भुगतान नहीं करने का निर्णय किया है। यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अप्रेल 2018 को भूपेन्द्रसिंह सोढा के वर्ष 2008–09 व 2009–2010 का भुगतान किया गया उस समय डॉ बाबूलाल दायमा क्रीडा मण्डल के सचिव थे एवं संबंधित प्रकरण की पूर्ण जानकारी डॉ दायमा को थी इसलिए उन्होने भुगतान संबंधी बिलो पर हस्ताक्षर नहीं किये।

अतिथि प्रशिक्षक की नियुक्ति क्रीडा मण्डल एंव कार्य भार समिति द्वारा नहीं किये जाने,कुलपति महोदय के सत्र 2008–2009 तथा 2009–2010 के लिए अतिथि प्रशिक्षक को भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय तथा उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान नहीं का आदेश नहीं दिये जाने के बावजूद भी तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव , स्थापना शाखा एवं लेखा शाखा के संबंधित कर्मचारियों ने जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर गैर जिम्मेदारान कर्तव्य द्वारा भूपेन्द्रसिंह सोढा को 10 वर्षो बाद 2018 में 4,66,200 रूपये का वित्तीय लाभ पहूँचाया है।

(2) वर्ष 2010–2011 व वर्ष 2011–2012 में भूपेन्द्र सिंह सोढा हेण्डबॉल कोच ने जेएनवीयू,जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में 5 माह काम किया। जिसके एवज में विश्वविद्यालय द्वारा भूपेन्द्रसिंह को भुगतान 2010 –2011 को 55510 रूपये एवं सत्र 2011–2012 का 57340 रूपये का भुगतान सशर्त प्राप्त कर लिया था। उपरोक्त वर्ष 2008–09 व 2009–10 के अनुरूप अतिरिक्त भुगतान 5 माह की बजाय पूरे सत्र एवं पीरियड के हिसाब से भुगतान किया गया है। भूपेन्द्र सिंह सोढा का भुगतान कार्यवाहक रजिस्ट्रार पी के शर्मा ने पारित किया जो इसके लिए अधिकृत नही थे। संबंधित बिल तत्कालीन अध्यक्ष एस के परिहार के हस्ताक्षर से पारित किए गए थे। पी के शर्मा ने यह भुगतान सचिव बाबूलाल दायमा को बाइपास कर यह भुगतान भूपेन्द्र सिंह सोढा किया था।

डॉ भूपेन्द्रसिंह सोढा द्वारा अपने दो भुगतान वर्ष 2008–2009 एवं वर्ष 2009–2010 के भुगतान हेतु उच्च न्यायालय जोधपुर सिविल याचिका सं0 1327/2012 दायर की गई थी जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए तत्कालीन क्रीडा मण्डल सचिव अमानसिंह को प्रभारी बनया गया था। सचिव अमानसिंह सिसोदिया द्वारा माननीय न्यायालय में विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र दायर किया था जिसमें उपरोक्त दो वर्षो के भुगतान के संबंध में डॉ भूपेन्द्रसिह सोढा को क्रीडा मण्डल में लगे होने व उसके स्वयं के द्वारा तैयार बिलों के प्रपत्र को अनुचित व नियम विरूद्ध होना बताया गया थां।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट कहा गया था कि परिवादी अपना आवेदन उपरोक्त भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करे व विश्वविद्यालय नियमानुसार जांच कर उचित निर्णय लेकर परिवादी को सुचित करे इस संबंध में तीन महिने के अन्तराल में लेकर परिवादी को सुचित करें इस संबध में विश्वविद्यालय की तरफ से अधिकारिक रूप से पक्ष रखने वाले अधिकारी अमानसिंह सिसोदिया से न कोई पुछताछ की न ही इस संबध में उन्हे विश्वास में लिया गया। विषय संबंध की गई कार्यवाही मे तत्कालीन कुलपति, कुलसचिव एवं अध्यक्ष सम्मिलित थे। डॉ बाबूलाल दायमा जो उपरोक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय की तरफ से न्यायालय में प्रति उत्तर के प्रभारी थे इन्होने जानकारी होते हुए भी भुगतान हेतु कही भी विरोध दर्ज नही करवाया था।

भूपेन्द्रसिंह सोढा द्वारा माननीय विधायक बाबूसिंह राठौड के अष्टम सत्र के तारांकित प्रश्न सं0 2583/उच्च शिक्षा /अता/ के माध्यम से विधानसभा में उठाया गया । प्रश्न के उत्तर में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक न. जेएनवीयू/स्था/4436 दिनांक 28.07.2012 के तहत पांच सदस्यो को राज्य सरकार उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव के

पास प्रति उत्तर एवं संबंधित दस्तावेजो के साथ भेंजा गया जिसमे भी विश्वविद्यालय की तरफ से भुगतान नहीं करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।

(3) वर्ष 2016–2017 व वर्ष 2017–2018 में बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जेएनवीयू के अध्यक्ष एस के परिहार व सचिव बाबूलाल दायमा थे। वर्ष 2016–2017 व वर्ष 2017–2018 तक दो सत्रो में भूपेन्द्र सिंह सोढा व सुमित्रा दाधीच ने अतिथि प्रशिक्षक के रूप में जेएनयू जोधपुर में कोचिंग दी थी परन्तू उनकी नियुक्ति वैध नहीं थी। क्योंकि नियम के अनुसार केवल सेवारत या रिटायर्ड प्रशिक्षक ही जेएनवीयू जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता था। दिनांक 26.5.14 के राज्य सरकार के आदेशानुसार गैर सेवारत व नये अभ्यर्थी को अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवाये नहीं ली जाए। परन्तू वर्ष 2016–2017 में न तो भूपेन्द्र सिंह सोढा न ही सुमित्रा दाधिच सरकारी सेवा में थे। तत्कालीन बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के सचिव बाबूलाल दायमा व अध्यक्ष एस के परिहार ने पद का दुरूपयोग कर अयोग्य व्यक्तियो को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

विश्वविद्यालय आर्डिनेश 317 नोटिफिकेशन दिनांक 27.9.2011 के अनुसार अतिथि संकाय प्रवक्ता की नियुक्ति की योग्यता:–(1) शारीरिक शिक्षा में 55: अंकों के साथ मास्टर डिग्री (2)शारीरिक शिक्षा में यूडीसी नेट लेक्चररशीप योग्यता उत्तीर्ण (3) शारीरिक शिक्षा में पीएचडी एवं गुड एकेडमिक रेकॉर्ड जिससे तात्पर्य है कि 10 या 12 वी किसी एक में तृतीय डिविजन हो सकती है व ग्रेज्यूशन में थर्ड डिविजन नहीं होनी चाहिए (4) राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी होना चाहिए। जो ऑर्डीनेश आदेश संलग्न है।

विश्वविद्यालय नियमानुसार अतिथि शिक्षक नियुक्ति करने हेतु विश्वद्यालय द्वारा अखबारो एवं विश्वविद्यालय वेबसाइड के जरिए विज्ञापन जारी किया जाता है , जिससे योग्यताधारी एवं इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते है, इस संबंध में सत्र 2016–17 में विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कीडा मण्डल में अतिथि प्रशिक्षकों के आवेदन नहीं मांगे गये थें क्योकि कीडा मण्डल एक नियमित केन्द्र /विभाग है जो कि स्वयं वित्तीय पोषित पाठ्यक्रम या विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है क्योकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक प0 (3) शिक्षा–4/2010 दिनांक से 26.05.2014 के अनुसार गैर सेवारत व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक नियुक्ति नहीं किया जा सकता है अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएँ सिर्फ सेवानिवृत्त या सेवारत व्याख्याताओ विशेषज्ञों को ही अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति किया जा सकता। जो आदेश की प्रति संलग्न है।

विश्वविद्यालय नियमानुसार अतिथि शिक्षको की नियुक्ति विश्वविद्यालय अध्यादेश 317 नोटिफिकेशन जारी दिनांक 27.09.2011 के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए व कीडा मण्डल में अतिथि की नियुक्ति हेतु जारी आदेश पत्र कमांकजेएनवीयू/विकास/2014/190दिनांक 05.06.2014 जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय में लागू किया गया था तथा प्रतिमाह रूपये 25000 पर राज्य सरकार नियमानुसार सेवानिवृत शिक्षको को ही लगाये जाने के आदेश है।

उक्त तथ्यों की वास्तविकता की अनुपालना की घोर अवहेलना तत्कालीन अध्यक्ष एस के परिहार एवं सचिव बाबूलाल दायमा कीडा मण्डल द्वारा की गयी है क्योकि उनके द्वारा नियुक्त किये गये दोनो बेरोजगार व नए अतिथि शिक्षक डॉ भूपेन्द्र सिंह सोढा एवं डॉ सुमित्रा दाधिच इन योग्यताओ को पूर्ण नहीं करते हुए भी व्यक्तिगत लाभ देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकिया में सम्मिलित विभाग स्थापना शाखा जिसके द्वारा दो गैर सेवारत अतिथि प्रशिक्षकों डॉ भूपेन्द्र सिंह सोढा एवं सुमित्रा दाधिच की नियुक्ति संबंधि कार्यालय द्वारा नियमों की अवहेलना कर आदेश जारी किये गये।

अतिथि संकाय प्रशिक्षको की नियुक्ति कर वर्ष 2016–17 में डॉ0 सुमित्रा दाधिच को कुल 191000 रूपये व भूपेन्द्रसिंह सोढा को कुल 166000 रूपये तथा दोनो को सम्मिलित रूप से 375000 रूपये का भुगतान किया गया। राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद अयोग्य अभ्यार्थीयो का चयन कर राशि रूपये 357000 का भुगतान किया गया।

कीडा मण्डल की जनरल कोन्सिल मिटिंग दिनांक 8.9.11 के अनुसार खेलो के लिए अतिथि संकाय प्रशिक्षक के लिये अनुशंषाओ के अनुसार संकाय प्रशिक्षक की नियुक्ति एक सत्र के लिए ही की जावेगी तथा नियुक्ति चार माह से ज्यादा नहीं होगी। डॉ सुमित्रा दाधिच ने मई 2016 से जून 2016 तक दो माह व अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक 5 माह (कुल 7 माह ) प्रशिक्षण दिया तथा कुल 191000 रूपये प्राप्त कियें। डॉ सुमित्रा दाधिच को 4 माह से अधिक कुल 75000 रूपये का अधिक भुगतान किया गय था। इसी प्रकार भूपेन्द्रसिंह सोढा ने मई 2016 व अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक 5 माह (कुल 6 माह) प्रशिक्षण दिया तथा कुल 166000 रूपये प्राप्त कियें। भूपेन्द्रसिंह सोढा को 4 माह से

अधिक कुल 50000 रूपये का अधिक भुगतान किया गया था। डॉ. सुमित्रा दाधिच व भूपेन्द्रसिंह सोढा दोनो को सम्मिलित रूप से 125000 रूपये का अधिक भुगतान किया गया। अतिथि प्रशिक्षको को क्रीडा मण्डल के अध्यादेश 336(4) व (12) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनरल काउन्सलिग मिटिग दिनांक 08.09.2011 के नियमानुसार फ्रेश योग्यताधारी अतिथि शिक्षको की नियुक्ति चार महिने के लिए की जावेगी, के नियम पारित किये गये थे । उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय विभागो में सत्र वार्षिक है की समाप्ति फरवरी माह के अन्त में हो जाती हैं व विश्वविद्यालय में समस्त पाठ्क्रमो की परीक्षाए प्रारम्भ हो जाती हैं। इसलिए पूर्व से आयी परिपाठी के अनुसार फरवरी माह के बाद अतिथि शिक्षको की नियुक्तिया स्वतः समाप्त हो जाती है।

उपरोक्त तथ्यों की घोर अवहेलना तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव क्रीडा मण्डल द्वारा की गयी है क्योकि डॉ भूपेन्द्र सिह सोढा एव डॉ सुमित्रा दाधिच का नियम विरूद्ध योग्यता नहीं रखते हुए निर्धारित समय सीमा से अधिक सयम तक लगाये रखना व इस संबंध मे बिना नोटिफिकेशन जारी किये एव विभाग के शिक्षको को बिना सूचित किये गर्मियो मे ग्रीष्मकालीन अभ्यास शिविर लगाना क्योकि वास्तविकता में जोधपुर शहर में माह मई व जून में अत्यधिक गर्मी होने पर मैदान खाली पडे रहते है इससे पहले गत वर्षो में ऐसा कभी नही हुआ है दोनो अतिथि प्रशिक्षको को भुगतान कर अतिरिक्त वित्तीय लाभ पहूँचाने का कार्य किया है।

(4) अक्टूबर 2016 में क्षेत्रिय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर की अतिथि प्रशिक्षको की उपस्थिति में भूपेन्द्रसिंह सोढा की 3 अक्टूबर 2016 को उपस्थिति दर्ज है इसी समय क्रीडा मण्डल जेएनवीयू में भी डॉ भूपेन्द्रसिंह सोढा की उपस्थिति रजिस्टर में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को उपस्थिति दर्ज है। और भूपेन्द्रसिंह सोढा ने क्षेत्रिय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर व क्रीडा मण्डल जेएनवीयू जोधपुर दोनो जगह से एक ही समय का भुगतान उठाया था। इस संबंध में प्रकरण की जॉच लोकायुक्त में भी दर्ज है जिसमें बिना कार्य करे अपनी फर्जी उपस्थिति बताकर भुगतान उठाया है।

(5) डॉ बाबूलाल दायमा एवं सुमित्रा दाधिच के खिलाफ वर्ष 2000 में कुछ छात्र छात्राओ को फर्जी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्जेन्टाइना के ब्यूनर्स आयर्स शहर ले जाया गया जहॉ बिना प्रतियोगिता हुए भारत को विश्व विजेता एव खिलाडियो को पदक व प्रमाण पत्र दे दिए गए। इस संबंध में एक छात्र सीताराम विश्नोई ने डॉ दायमा एव सुमित्रा दाधिच के साथ ब्यूनर्स आयरस (अर्जेन्टाइना) जिसके लिए उस समय 120000 रूपये दिए जिसकी एवज में उसे बिना प्रतियोगिता में भाग लिए पदक व प्रमाण पत्र दिया किया। जिसके संबंध में छात्र श्री सीताराम विश्नोई द्वारा वर्ष 2000 में पुलिस थाना सरदारपुरा जिला जोधपुर में 345/2000 धारा 420 भादस दिनांक 13.09.2000 डॉ0 बाबूलाल दायमा के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वर्ष 2017 में डॉ दायमा ने सीताराम विश्नोई के वकील से उक्त प्रकरण में राजीनामा कर कोर्ट में आगे प्रकरण को नही चलाने की सहमति दे दी।

(6) डॉ बाबूलाल दायमा की जेएनवीयू , जोधपुर में वर्ष 1996 में निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति नियम विरूद्ध है क्योकि डॉ दामया द्वारा शारीरिक शिक्षा मे स्नातकोत्तर की उपाधि एक वर्ष की कर रखी है परन्तु समस्त स्नातकोत्तर दो वर्ष के होते है। तत्कालीन समय नियुक्ति के नियमानुसार 2 वर्ष की एमपीएड होना अनिवार्य है शारीरिक शिक्षा में यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है एवं राष्ट्रीय स्तर का खिलाडी होना आवश्यक है उपरोक्त योग्यता डॉ दायमा के पास न होते हुए भी विवि में नियुक्ति प्राप्त कर ली। उपरोक्त परिवाद से संबंधित ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में भी परिवाद संख्या एच–1679/2019 दिनांक 25.06.2019 दर्ज होकर जांच हेतु पुलिस आयुक्त आयुक्तालय जोधपुर को प्रेषित किया गया था।

इस प्रकार अतिथि प्रशिक्षक की नियुक्ति क्रीडा मण्डल एवं कार्य भार समिति द्वारा नहीं किये जाने, कुलपति महोदय के सत्र 2008–2009 तथा 2009–2010 के लिए अतिथि प्रशिक्षक को भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय तथा उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान नहीं का आदेश नहीं दिये जाने के बावजूद भी तत्कालीन अध्यक्ष एस के परिहार, सचिव बाबूलाल दायमा, वित्तीय अधिकारी लेखा शाखा दशरथ कुमार सोलंकी एवं स्थापना शाखा एवं के संबंधित कर्मचारियों ने जान बूझकर नियमों की अनदेखी कर गैर जिम्मेदारिना कर्तव्य द्वारा भूपेन्द्रसिंह सोढा को 10 वर्षो बाद 2018 में 4,66,200 रूपये का वित्तीय लाभ पहूँचाया है। वर्ष 2010–2011 व वर्ष 2011–2012 में भूपेन्द्र सिंह सोढा हेण्डबॉल कोच ने जेएनवीयू, जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक के रूप में 5 माह काम किया। जिसके एवज में विश्वविद्यालय द्वारा भूपेन्द्रसिंह को भुगतान 2010 –2011 को 55510 रूपये एवं सत्र 2011–2012 का 57340 रूपये का भुगतान करना तथा भूपेन्द्र सिंह सोढा को 5 माह की बजाय पूरे सत्र एवं पीरियड के हिसाब से भुगतान किया गया है। भूपेन्द्र सिंह सोढा का भुगतान कार्यवाहक रजिस्ट्रार पी के शर्मा ने पारित किया जो इसके लिए अधिकृत नही थे। संबंधित बिल तत्कालीन अध्यक्ष एस के परिहार के हस्ताक्षर से पारित किए गए थे। वर्ष 2016–2017 व वर्ष 2017–2018 तक दो सत्रो में भूपेन्द्र

सिंह सोढा व सुमित्रा दाधीच ने अतिथि प्रशिक्षक के रूप में जेएनवीयू जोधपुर में कोचिंग दी थी परन्तू उनकी नियुक्ति वैध नहीं थी। क्योंकि नियम के अनुसार केवल सेवारत या रिटायर्ड प्रशिक्षक ही जेएनवीयू जोधपुर में अतिथि प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता था। दिनांक 26.5.14 के राज्य सरकार के आदेशानुसार गैर सेवारत व नये अभ्यर्थी को अतिथि प्रवक्ता के रूप में सेवाये नहीं ली जाए। परन्तू वर्ष 2016–2017 में न तो भूपेन्द्र सिंह सोढा न ही सुमित्रा दाधिच सरकारी सेवा में थे। तत्कालीन बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स के सचिव बाबूलाल दायमा व अध्यक्ष एस के परिहार ने पद का दुरूपयोग कर अयोग्य व्यक्तियो भूपेन्द्रसिंह सोढा व सुमित्रा को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था।

इस प्रकार बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे.एन.वी.यू. जोधपुर के तत्कालीन श्री एस.के. परिहार अध्यक्ष क्रिडा मण्डल, श्री बाबूलाल दायमा, सचिव, श्री पी.के. शर्मा कार्यवाहक रजिस्ट्रार एवं अतिथि प्रशिक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह सोढा, श्रीमती सुमित्रा दाधिच (लाभार्थी) ने मिलीभगत कर किडा मण्डल जे.एन.वी.यू. जोधपुर के अधिकारी/कर्मचारी ने मिलीभगत कर बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे.एन.वी.यू. जोधपुर को 4,66,255 रूपये का वितीय नुकसान पहुंचाने का कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री एस.के. परिहार अध्यक्ष किडा मण्डल बॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जे.एन.वी.यू. जोधपुर के सुनिल कुमार (एस.के.) परिहार पुत्र श्री बी.सी. परिहार, निवासी ऑल इंडिया रेडीयो स्टेशन के पीछे पावटा सी रोड़ सैकण्ड जोधपुर तत्कालीन अध्यक्ष कीड़ामण्डल,जेएनवीयू,जोधपुर 2. श्री बाबूलाल दायमा पुत्र श्री मांगीलाल दायमा निवासी विश्वविद्यालय स्टाफ क्वार्टर जेएनवीयू जोधपुर तत्कालीन सचिव कीड़ामण्डल, जेएनवीयू,जोधपुर 3. श्री प्रदीप कुमार (पी.के.) शर्मा पुत्र श्री जेएल शर्मा निवासी रूद्राक्ष 27ए सेक्टर–डी सरस्वती नगर बासनी जोधपुर तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार, जेएनवीयू,जोधपुर एवं अतिथि प्रशिक्षक श्री भूपेन्द्र सिंह सोढा, श्रीमती सुमित्रा दाधिच (लाभार्थी) व अन्य के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988, एवं सहपठित धारा 409 120बी भादस में पंजीबद्ध किया जाना उचित रहेगा, जिसकी बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी),13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं सहपठित धारा 409, 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुनिल कुमार (एस.के.) परिहार पुत्र श्री बी.सी. परिहार, तत्कालीन अध्यक्ष, क्रीड़ामण्डल, जेएनवीयू, जोधपुर 2.श्री बाबूलाल दायमा पुत्र श्री मांगीलाल दायमा, तत्कालीन सचिव, क्रीड़ामण्डल, जेएनवीयू, जोधपुर 3. श्री प्रदीप कुमार(पी.के.) शर्मा पुत्र श्री जे.एल. शर्मा, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार, जेएनवीयू, जोधपुर 4. श्री भूपेन्द्र सिंह सोढा, अतिथि प्रशिक्षक 5. श्रीमती सुमित्रा दाधीच, अतिथि प्रशिक्षक एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 233/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2054-59 दिनांक 13.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. कुलपति, जेएनवीयू, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर(परि.230/18)

13.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।